



Service is
the way of life



वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2017-18



पी.एस.बी

MSME
Loan



Housing Loan



Car Loan



Education
Loan



१९ श्री वागिदास जी की इज्जत

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



कार्यकारी निदेशक
श्री फरीद अहमद
Executive Director
Sh. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक
श्री गोविंद एन डोंग्रे
Executive Director
Sh. Govind N Dongre



श्री एस. सेल्वा कुमार
Sh. S. Selva Kumar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री अतनु सेन
Sh. Atanu Sen



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय—सूची / Contents

पृष्ठ संख्या / Page No.

1.	उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2.	निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3.	नोटिस / Notice	4-13
4.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	14-37
5.	कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	38-87
6.	व्यवसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट / Business Responsibility Report	88-111
7.	बासल-II व बासल-III के अंतर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel - II & Basel - III	112-191
8.	वित्तीय विवरणियां / Financial Statements:	
	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	192-195
	तुलन-पत्र / Balance Sheet	196-197
	लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	196-199
	अनुसूचियाँ / Schedules	200-267
	नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	268-271
9.	प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	272-273
10.	उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	274-275



उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2018 को / As on 31.03.2018

1. जमा Deposits	10172617
2. सकल अग्रिम Gross Advances	6973878
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2868489
4. सकल निवेश Gross Investments	3315003
5. परिचालन लाभ Operating Profit	114471
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-) 74380
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.69%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	6.93 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	11.27%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	11.25%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

कार्यकारी निदेशक

श्री फरीद अहमद

Executive Director

Sh. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक

श्री गोविंद एन डोंग्रे

Executive Director

Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. सेल्वा कुमार, आई.ए.एस.

Sh. S. Selva Kumar, IAS

श्री प्रदीप्त के. जैना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री अतनु सेन

Sh. Atanu Sen

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता

Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह

Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया

CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू

Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री संजय जैन

Sh. Sanjay Jain

महाप्रबंधक / General Managers

श्री एस.सी. क्वात्रा

Sh. S.C. Kwatra

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव

Smt. Harvinder Sachdev

श्री जी.एस. नारंग(प्रतिनियुक्ति पर)

Sh. G.S. Narang (On Deputation)

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स धवन एण्ड कं.

M/S Dhawan & Co.

मैसर्स दविन्दर पाल सिंह एण्ड कं.

M/S Davinder Pal Singh & Co.

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.

M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.

M/s Baldev Kumar & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

पी.एस.बी

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय : 21 – राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की आठवीं सामान्य बैठक पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या 3, सैक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में शुक्रवार, 29 जून, 2018 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित होगी जिसमें निम्न कारोबार किए जाएंगे:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2018 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों पर, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई-मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 22.06.2018 निर्धारित की है। एतद् द्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 23.06.2018 से 29.06.2018 तक, जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं, आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक के सम्बंध में बन्द रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

www.psbindia.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Friday, the 29th June, 2018 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2018, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 22.06.2018 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 23.06.2018 to 29.06.2018 (both days inclusive) in connection with the Eighth Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 21 May, 2018

Dr. Fareed Ahmed
Executive Director

टिप्पणियां

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी को दिए गए लिखत द्वारा व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक-ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जोकि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बर्शते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा है तथा पंजीकृत है।

2. अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जोकि बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 24.06.2018 (रविवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, बैंक के शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 29.06.2018 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुबंध 'E') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/अधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या अधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों/प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात् होगा, और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारक, जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से उनके ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों, यदि कोई है तो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दी जाए:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट-पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

44, समुदाय केंद्र, दूसरी मंजिल, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I

नजदीक पी.वी.आर., नारायणाए नई दिल्ली- 110 028

फोन 011- 41410592, 41410593 ई मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन यदि हो तो, अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सारा संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए सूचित करें।

5. लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure-'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 24.06.2018 (Sunday).

3. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 29.06.2018, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

44, Community Centre, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I
Near PVR Naraina, NEW DELHI-110 028.

Ph: 011 41410592, 41410593 email: delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. **DIVIDEND**

No dividend has been declared by the Bank for the year 2017-18.



6. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने पिछले लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है वे बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से दर्शाए गए उक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

7. फोलियों का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियों के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

8. शेयर धारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र. का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करें।

9. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बै. की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक (कट ऑफ डेट) 22.06.2018 है। ई-वोटिंग की अवधि 26.06.2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 28.06.2018 को अपराह्न 5.00 बजे तक होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगइन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष)
लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,
21-राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008.
टेलीफोन- 011- 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी:

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

कड़ी सुरक्षा के कारणों से हॉल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्ति अपने सामान की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2018

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक